

मध्यप्रदेश शासनवनविभाग

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत/वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत)

जप्तीनामा

1. वन अपराध प्रकरण क्रमांक/दिनांक.....
2. जप्ती स्थल जी.पी.एस. सहित.....
3. जप्ती समय/दिनांक.....
4. जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद.....
5. जप्तशुदा वन्यजीव/अवयव.....  
.....
- (अ) अनाधिकृत अन्य वनोपज.....
6. जप्तशुदा सम्पत्ति का विवरण.....  
(मोटर वाहन छोडकर अन्य उपकरण)  
(अ) मोबाइल IMEI .....IMSI.....  
सिम विवरण .....
7. जप्तशुदा मोटर वाहन का विवरण—वाहन क्रमांक एवं चेसिस क्रमांक.....  
.....
8. जप्तशुदा वनोपज/सम्पत्ति पर लगाये गये हेमर/चिन्ह/सील बंद का विवरण .....  
.....  
.....
9. अपराधी का नाम व पता .....  
.....
10. व्यक्ति जिससे वनोपज/सम्पत्ति जप्त की गई.....
11. गवाह—  
1. हस्ताक्षर.....  
नाम/पता.....  
2. हस्ताक्षर.....  
नाम/पता.....
12. सुपुर्ददार का विवरण हस्ताक्षर.....  
नाम/पता.....

पेटर्न/पिन.....		
○	○	○
○	○	○
○	○	○

जप्तीनामा की एक प्रति प्राप्त की गयी।

(अपराधी/व्यक्ति के हस्ताक्षर )

जप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....